<u>न्यायालयः</u>

<u>विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./ज.जा. (अ.नि.प्र.) बारां, जिला बारां राज.</u>

पीठासीन अधिकारी

सानुज कुलश्रेष्ठ

(RJS-DJ CADRE)

<u>दण्डादेश दिनांक: 22.03.2024</u>

प्रकरण संख्याः सेशन प्रकरण सं. 16/2014

सीआईएस नं. 1045/2014

CNR No. RJBR050000932013

एफआईआर सं. 272/2013 पुलिस थाना अटरू

[दोषसिद्धि अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(x)[संशोधित अधिनियम 3(1)(r)] अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, मूल निर्णय दिनांक 18.03.2024]**

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ट लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**1-मोहम्मद शहादत** पुत्र मोहम्मद इब्राहीम, उम्र 45 वर्ष (वर्तमान आयु 56 साल) निवासी खेडलीगंज अटरू पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज०) **2-असलम खान** पुत्र मोहम्मद अययूब, उम्र 21 वर्ष (वर्तमान आयु 32 साल) निवासी काला तालाब लक्ष्मी विहार कोटा पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा जिला कोटा (राज०)

	3–शाहरूख खान पुत्र मोहम्मद शहादत, उम्र 20 वर्ष (वर्तमान आयु 31 साल) निवासी खेडलीगंज अटरू पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज०) **(अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा से उपस्थित)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रियदर्शन शर्मा, विद्वान अधिवक्ता

ORDER ON SENTENCE दिनांक 22.03.2024

1. सजा के बिन्दु पर उभयपक्षों को दिनांक 18.03.2024 को सुना गया।

इस संबंध में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह कथन किया कि अभियुक्तगण लम्बे समय से वर्ष 2013 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अभियुक्त मोहम्मद शहादत प्राईवेट कंडक्टर का कार्य करता है, अभियुक्त शाहरूख खान पढ़ाई कर रहा है और शेष अभियुक्त असलम खान बैल्डिंग का काम करता है, जो गरीब व्यक्ति हैं। इस प्रकरण के फरियादीगण के विरूद्ध क्रोस केस भी दर्ज हुआ था। अतः सजा में नरमी का रूख रखा जाए और न्यूनतम सजा से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने कथन किया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(x)[संशोधित अधिनियम 3(1)(r)] अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का आरोप प्रमाणित माना गया है। अतः इस स्थिति को देखते हुये कड़ा रूख रखते हुए दण्डादेश पारित किया जाए।

2. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया न्यायिक निर्णय **State of Rajasthan vs. Banwari Lal** [2022 **LL(SC)** 357] [2022(4) **Supreme** 467] को देखा जाए तो अपने इस न्यायिक निर्णय में दंडादेश के सम्बंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने द्वैतवादी सिद्धांत क्रमशः 'सुधार एवं निवारण' (correction and deterrence) को अंगीकार करते हुए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं–

"Sentencing is an important task in the matters of crime. One of the prime objectives of the criminal law is imposition of appropriate, adequate, just and proportionate sentence commensurate with the nature and gravity of crime and the manner in which the crime is done. There is no straitjacket formula for sentencing an accused on proof of crime. The courts have evolved certain principles: the twin objective of the sentencing policy is deterrence and correction. What sentence would meet the ends of justice depends on the facts and circumstances of each case and the court must keep in mind the gravity of the crime, motive for the crime, nature of the offence and all other attendant circumstances.

From the aforesaid observations, it is clear that the principle governing the imposition of punishment will depend upon the facts and

circumstances of each case. However, the sentence should be appropriate, adequate, just, proportionate and commensurate with the nature and gravity of the crime and the manner in which the crime is committed. The gravity of the crime, motive for the crime, nature of the crime and all other attending circumstances have to be borne in mind while imposing the sentence. The court cannot afford to be casual while imposing the sentence, in as much as both the crime and the criminal are equally important in the sentencing process. The courts must see that the public does not lose confidence in the judicial system. Imposing inadequate sentences will do more harm to the justice system and may lead to a state where the victim loses confidence in the judicial system and resorts to private vengeance."

3. उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत की रोशनी में 'सुधार और निवारण' में पारस्परिक सामंजस्य बैठाने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने पर यह पाता है कि हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्तगण ने परिवादीगण का सदोष अवरोध कारित कर, परिवादी/आहतगण प्रमोद दिलावर, अरविन्द पारेता और दिवांशु दिलावर को सामान्य आशय के अग्रसरण में कुंदालय सरिया, पत्थर आदि से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की तथा आहत प्रमोद दिलावर को नदी में गिरा कर, गर्दन पकड़कर पानी में डुबकियाँ लगाकर, हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया और जातिसूचक शब्द खटीकड़ा इत्यादि कहकर जातिगत रूप से प्रताड़ित, अपमानित, अभित्रस्त करने और आपराधिक अभित्रास कारित करने का कृत्य कारित किया है।

4. अभियुक्तगण के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखा जाए तो अभियुक्तगण असलम खान और शाहरूख खान का रिकॉर्ड 'निल' होना पत्रावली पर बताया गया है, लेकिन शेष अभियुक्त मोहम्मद शहादत का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार बताया गया हैः–

क्रम सं०	एफआईआर नम्बर मय थाना	धारा	सीएस नम्बर	वर्तमान स्थिति
01	23/1990 थाना कवाई	365,186,189 भारतीय दण्ड संहिता	65/31.08.1990	दिनांक 22.01.1998 को दोषमुक्त, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू

02	49/1991 थाना अटरू	302,147,148,149 भारतीय दण्ड संहिता, धारा–3 टाड़ा एक्ट	142/29.11.1991	दिनांक 14.03.2016 को दोषमुक्त, एससी/एसटी कोर्ट अजमेर
03	169/1998 थाना अटरू	147,148,325,323, 427,149 भारतीय दण्ड संहिता	193/27.09.1998	दिनांक 01.09.2015 को दोषमुक्त, एसीजेएम अटरू
04	461/2000 थाना अटरू	341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता	307/30.12.2000	दिनांक 15.10.2011 को फैसला, परिवीक्षा का लाभ ग्राम न्यायालय, अटरू
05	324/2001 थाना अटरू	448,506,323 भारतीय दण्ड संहिता	238/30.08.2001	दिनांक 09.05.2006 को दोषमुक्त, जेएम कोर्ट अटरू
06	141/2002 थाना अटरू	451,323,34 भारतीय दण्ड संहिता	202/09.08.2002	जेएम कोर्ट अटरू से दो सो रूपये अर्थदण्ड
07	04/2006 थाना अटरू	147,332,353,342 336,283 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट	135/03.08.2006	दिनांक 20.09.2017 को दोषसिद्ध, सात हजार रूपये जुमार्ना, एसीजेएम कोर्ट अटरू
08	21/1990 थाना अटरू	147,323,365 भारतीय दण्ड संहिता	39/30.04.1990	दिनांक 29.09.1996 को जर्ये राजीनामा, एमजेएम कोर्ट अटरू

5. हस्तगत प्रकरण में हालांकि अभियुक्त मोहम्मद शहादत का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड उक्तानुसार होना बताया गया है और न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण की संलिप्तता आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(x)[संशोधित अधिनियम 3(1)(r)] अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संदेह से परे प्रमाणित पाई गई है, लेकिन इस प्रकरण के फरियादीगण के विरूद्ध क्रोस केस भी दर्ज हुआ था, जिसमें वे दोषमुक्त हो चुके हैं, यह पत्रावली पर प्रकट है। यह स्थिति यह स्पष्ट करती है कि घटनाक्रम में दोनों ही पक्षों के मध्य वारदात या घटनाक्रम घटित हुआ है और दोनों ही पक्षों ने एक–दूसरे के विरूद्ध प्रकरण

दर्ज कराए हैं। अतः आहतगण के आई चोटों की संख्या, प्रकृति (जिसमें कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है) एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों व हस्तगत प्रकरण के क्रोस केस को देखते हुए, यह मामला अधिकतम कारावास की सजा से दण्डित करने योग्य नहीं है।

6. अतः यह न्यायालय उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए **अभियुक्तगण क्रमांक 1–मोहम्मद शहादत** पुत्र मोहम्मद इब्राहीम, उम्र 45 वर्ष (वर्तमान आयु 56 साल) निवासी खेडलीगंज अटरू पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज०), **2–असलम खान** पुत्र मोहम्मद अययूब, उम्र 21 वर्ष (वर्तमान आयु 32 साल) निवासी काला तालाब लक्ष्मी विहार कोटा पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा जिला कोटा (राज०) और **3–शाहरूख खान** पुत्र मोहम्मद शहादत, उम्र 20 वर्ष (वर्तमान आयु 31 साल) निवासी खेडलीगंज अटरू पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज०) को निम्न सजा से दंडित किया जाना न्यायोचित समझता है।

SENTENCE

7. **अभियुक्तगण क्रमांक 1–मोहम्मद शहादत** पुत्र मोहम्मद इब्राहीम, उम्र 45 वर्ष (वर्तमान आयु 56 साल) निवासी खेडलीगंज अटरू पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज०), **2–असलम खान** पुत्र मोहम्मद अययूब, उम्र 21 वर्ष (वर्तमान आयु 32 साल) निवासी काला तालाब लक्ष्मी विहार कोटा पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा जिला कोटा (राज०) और **3–शाहरूख खान** पुत्र मोहम्मद शहादत, उम्र 20 वर्ष (वर्तमान आयु 31 साल) निवासी खेडलीगंज अटरू पुलिस थाना अटरू जिला बारां (राज०) को **प्रत्येक को** दोषसिद्ध अपराधों अन्तर्गत धारा **341, 323, 308, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(x)[संशोधित अधिनियम 3(1)(r)] अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** में निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः–

(A) **अपराध अंतर्गत धारा 341/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिये एक माह के साधारण कारावास की सजा से और 500/– रूपये (अक्षरे पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त सात दिनों का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

(B) **अपराध अंतर्गत धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिये एक साल के साधारण कारावास की सजा से और 1,000/– रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दस दिनों का साधारण

कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

(c) **अपराध अंतर्गत धारा 308/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिये तीन साल के साधारण कारावास की सजा से और 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पन्द्रह दिनों का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

(d) **अपराध अंतर्गत धारा 504/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के लिये दो साल के साधारण कारावास की सजा से और 10,000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त पन्द्रह दिनों का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

(e) **अपराध अंतर्गत धारा 3(1)(x)[संशोधित अधिनियम 3(1)(r)] अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के अपराध के लिये तीन साल के साधारण कारावास की सजा से और 15,000/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

8. उक्त सभी मूल सजायें साथ–साथ भुगताई जाए। अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में बिताई गई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रावधानों के तहत उसकी मूल सजा में समायोजित की जाए।

9. धारा 357A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिकर के रूप में जुर्माने की राशि परिवादी पक्ष को नियमानुसार दिलाये जाने की अनुशंसा यह न्यायालय करता है। साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा भी यह न्यायालय करना उचित समझता है। उक्त दोनों राशियाँ पारस्परिक रूप से अनन्य होंगी।

10. अभियुक्तगण का सजा वारण्ट बनाया जाए।

11. प्रकरण में जब्तशुदा माल, यदि कोई हो तो, अपील अवधि 6 माह पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। प्रकरण में अपील होने की स्थिति में मालखाना पूर्णतः सुरक्षित रखा जावे व माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जब्तशुदा आर्टिकल का निस्तारण किया जाए।

12. निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क दी जाए।

13. यह आदेश मूल निर्णय दिनांक 18.03.2024 का भाग रहेगा।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा.(अ.नि.)प्रकरण बारां
जिला बारां (राज.)

14. दण्डादेश आज दिनांक 22.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अ.जा./ज.जा.(अ.नि.)प्रकरण बारां
जिला बारां (राज.)